संख्या: 12/2019/596/सत्रह-म-2019-6-9 (333)/16टी0सी0

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 06 जून,2019

विषय ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत (नीली क्रान्ति) पूर्व में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख में से अवशेष केन्द्रांश के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 588.471 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-129/नि0शा0/2019-20 दिनांक 13 मई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 की परियोजनाओं हेतु, वर्ष 2018-19 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख में से अवशेष केन्द्रांश के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0 588.471 लाख (पॉच करोड अटठासी लाख सैतालीस हजार एक सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-1203113/37/2017-एफवाई, दिनांक 26 मार्च, 2018 तथा समसंख्यक शुद्धि पत्र दिनांक 11.06.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कुल रू0 7665.67 लाख की परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी, जिसमें केन्द्रांश रू0 2279.86 लाख, राज्यांश रू0 1388.04 लाख एवं लाभार्थी अंश रू0 3997.77 लाख की धनराशि निहित है। उक्त के क्रम में भारत सरकार के पत्र जे0-1203113/48/2017- एफवाई, दिनांक 29 मई, 2018 द्वारा रू0 1813.73 लाख की धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी थी। उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अवमुक्त उक्त केन्द्रीय सहायता को वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय करने हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-18001 /1 /2017- एफवाई दिनांक 25.04.2019 द्वारा पुनर्वैध कर दिया गया है।

3- उल्लेखनीय है कि ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना हेतु वर्ष 2018-19 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-20/2018/883/सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 10.07.2018 द्वारा रू0 1142.84 लाख (केन्द्रांश रू0 759.09 लाख एवं मैचिंग राज्यांश् रू0 383.75 लाख) एवं शासनादेश संख्या-22/2018/1028/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 27.07.2018 द्वारा द्वितीय किश्त के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

रूप में रू0 786.30 लाख (केन्द्रांश रू0 471.78 लाख एवं मैचिंग राज्यांश् रू0 314.52 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

4- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना हेतु वर्ष 2017-18 की परियोजनाओं के लिए वर्ष 2018-19 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख में से अवशेष केन्द्रांश रू0 361.394 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में केन्द्रांश् रू0 358.957 लाख तथा मैंचिंग राज्यांश् रू0 229.514 लाख अर्थात रू0 588.471 लाख (रू0 पॉच करोड अटठासी लाख् सैतालीस हजार एक सौ मात्र) को निम्न तालिकानुसार 04 मदों में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

कं0 स0	परियोजना/ गतिविधियों का नाम /फडिंग पैटर्न (केन्दांश: राज्यांश: लाभार्थी अंश)	लक्ष्य (सं0/हे0) में	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	कुल अनुदान धनराशि (के0+रा0)	तृतीय किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि			अभ्युक्ति
						केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	तालाब सुधार (सामान्य) (24%:16%:60%)	325 हे0	3.5	1137.5	455.00	104.106	69.404	173.510	मत्स्य निदेशालय के पत्रांक-129/नि0 शा0/2019-20 दिनांक 13मई, 2019 द्वारा संलग्नकों के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट /विवरण के अनुसार
2	तालाब सुधार निवेश(सामान्य) (24%:16%:60%)	325 हे0	1.5	487.50	195.00	46.542	31.028	77.570	
3	फिश सीड रियरिंग यूनिट (सामान्य) (24%:16%:60%)	265 सं0	6	1590.00	636.00	193.622	129.082	322.704	
4	प्रशासकीय व्यय (कुल केन्द्रांश का 3 प्रतिशत)		-	66.40	-	14.687	0.00	14.687	निदेशालय स्तर से धनराशि का आवंटन किया जायेगा।
					योग -	**358.957**	**229.514**	**588.471**	

(रू0 पॉच करोड अटठासी लाख सैंतालीस हजार एक सौ मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या- संख्या- 20/2016/2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर,2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या- संख्या- 2/2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/ 16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग - निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज आर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

(3) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) भारत सरकार के पत्रांक जे0-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-।/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नही किया जायेगा।

(10) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीयधन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2019- 20 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405- मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना,20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-।/2019/बी-1-170/दस -2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या- 12 /2019 /596(1)/ सत्रह-म-2019 तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।